निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 18 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला) के माह 08/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री सत्यबीर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/08/2020 से 25/08/2020 तक श्री बिभाष चंद्र मुखर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी केपर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा जो श्री संजीव कुमार एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री आलोक चौधरी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02/08/2018 से 13/08/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: जिला देहरादून, डोईवाला के आस पास के क्षेत्र।

(II)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		गैर स्थापना		स्थापना		अवशेष			
							गैर स्थापना		स्थापना	
							आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय				
2017-18	-	-	1228.74	1228.74	--	--	--	--	--	--
2018-19	-	-	1050.98	1050.98	--	--	--	302.89	--	--
2020-21 (07/2020) तक	-	-	672.00	521.24	--	--		150.76	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)	बचत(-)
2018-19	विशेष आयोजनागत सहायता	--	177.00	177.00	--	--
	ओ आर /एफ़ डी आर	--	296.74	296.74	--	--
2019-20	केंद्रीय सड़क निधि	--	352.00	57.98	--	294.00
	ओ आर /एफ़ डी आर	--	74.64	74.64	--	--
2020-21 (07/2020 तक)	ओ आर /एफ़ डी आर	--	419.00	396.66		

3. इकाई का बजट आवंटन राज्य एवं भारत सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'बी' श्रेणी की है ।
4. विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

अधिशासी अभियंता

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में मार्गों का सुधारीकरण कार्यालय को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, रा.मा. खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019 व 12/2019 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।
6. "**Installation of crash barriers on various stretches of National Highways**" का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 18/12/2019 से 21/12/2019 तक निरीक्षण की गई ।
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमश: माह 03/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
5. **फॉर्म-51**: माह 04/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

   भाग प्रथम- ₹ 42466

   भाग द्वितीय- 00
6. खण्ड के निपेक्ष पंजिका के अवशेष 07/2017 के अंत में

   1.नकद परिशोधन- शून्य

   2.सामग्री क्रय- शून्य

   3.निक्षेप पंजिका- ₹ 185122999/-

   4.प्रकीर्ण अग्रिम- ₹ 5321/-

   5.भंडार- शून्य

भाग 2 (अ)

प्रस्तर 01 प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त चेनेजों से इतर चेनेजों मे बगैर सर्वे एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त चेनेजों में कार्य निष्पादन किए जाने के फलस्वरूप परिहार्य व्यय ,`703.05 लाख।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वार्षिक योजना 2017-18 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य मे विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग खंडो के अंतर्गत आने वाले राजमार्गों मे 101215 मीटर क्रैश बैरियर लगाए जाने के कार्य की तकनीकी स्वीकृत लागत ` 6477.71 लाख की अगस्त 2017 मे स्वीकृत की गयी थी। उक्त कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, डोईवाला के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-707-A के किमी 17.000 से 125.250 की विभिन्न चेनेजों मे 48250.00 रनिंग मीटर क्रैश बैरियर जिसकी लागत ` 2069.92 लाख हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हेतु सम्पूर्ण स्वीकृत 101215 मीटर क्रैश बैरियर लगाए जाने के कार्य निष्पादन हेतु एक अनुबंध 01/SE/NH-10/2017-18 दिनांक 04.06.18 को लागत ` 4377.58 लाख का गठित किया गया था जिसके अंतर्गत कार्य समाप्ति की तिथि 03.03.19 थी। उपरोक्त अनुबंध के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, डोईवाला के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-707-A के किमी 17.000 से 125.250 की 241 विभिन्न चेनेजों मे 48250.00 रनिंग मीटर क्रैश बैरियर लगाए जाने के कार्य का निष्पादन भी किया जाना था।

संप्रेक्षा अवधि (अगस्त 2020) तक खंडीय स्तर से संबन्धित राजमार्ग पर कार्य निष्पादन हेतु 19वे रनिंग बिल तक ठेकेदार को 50658 मीटर हेतु ` 2173.22 लाख का भुगतान किया जा चुका था एवं अतिरिक्त मापित 1593 मीटर हेतु ठेकेदार द्वारा ` 68.34 लाख के भुगतान हेतु 22वां अंतिम देयक खंड को प्रस्तुत किया गया था जिसको सम्मिलित करते हुए क्रैश बैरियर कार्य हेतु कुल भुगतान ` 2241.56 लाख था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, डोईवाला मे कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया किउपरोक्त इंगित निर्माण कार्य के अंतर्गत स्वीकृत चेनेजों के चयन हेतु MORTH रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5.2 के अनुसार Location of repeated fatal accidents as evidenced by accident records, location at which the sight distance is less than 60m, locations where the radius of curve is less than 100m and locations where cross roads are joining the NH at acute angles संबंधी निर्देशों को ध्यान मे रखते हुए खंडीय स्तर से चेनेजों के चयन हेतु सर्वे इत्यादि की कार्यवाही के उपरांत जनवरी 2019 मे किमी 4,6,8,9,12,14,15,16,44,155,156,157,158,159,163,164,165,174 एवं 175 मे क्रैश बैरियर स्थापित किए जाने की रिपोर्ट FloodArea एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने के आधार पर तैयार की गयी थी परंतु खंडीय स्तर उच्चाधिकारियों को मात्र किमी 01 से 82 मे कार्य निष्पादन हेतु प्रेषित किया गया था। जिसके सापेक्ष भारत सरकार स्तर से तकनीकी

स्वीकृति किमी 17 से 125 मे कार्य निष्पादन हेतु प्रदान की गयी थी। आगे अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि मात्र ठेकेदार द्वारा जून 2019 प्रेषित पत्र के आधार पर 'राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, हल्द्वानी मे लगाए जाने वाले 3240 मीटर क्रैश बैरियर की लोकेशन उपलब्ध नहीं है एवं राजमार्ग 707- A की किमी 4 से 16 की चेनेजों पर लगाए जाने हेतु स्थान उपलब्ध है'के प्रस्ताव मात्र के आधार पर ही खंड द्वारा 3240 मीटर क्रैश बैरियर हेतु प्रस्ताव स्वीकृत कराते हुए जनवरी 2019 मे सर्वे के उपरांत उपरोक्त चयनित किमी की चेनेजों से इतर किमी 04 से 16 की 32 चेनेजों मे बगैर सर्वे इत्यादि के अतिरिक्त क्रैश बैरियर का कार्य संपादित कराया गया था।

आगे कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो एवं माप पुस्तिकाओ की जांच मे पाया गया कि भारत सरकार स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किमी की चेनेजों से इतर किमी की चेनेजों मे MorthGuidelines की शर्तो के अधीन सर्वे किए बिना एवं बगैर स्वीकृति केखंडीय स्तर से 16388 अतिरिक्त रनिंग मीटर (3240 मीटर सहित) क्रैश बैरियर का कार्य निष्पादन कराये जाने के कारण कार्य पर अतिरिक्त व्यय भार ` 703.05 लाख डाला गया था। (संलग्नक-01)

अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि खंडीय स्तर से प्रेषित विचलन प्रपत्र एवं प्रस्तुत देयकों के अनुसार इंगित निर्माण कार्य हेतु समस्त स्वीकृत 48250 मीटर, हल्द्वानी खंड से प्राप्त 3240 मीटर एवं अतिरिक्त स्वीकृत 761 मीटर अर्थात कुल 52251 मीटर लंबाई मे क्रैश बैरियर लगाने का कार्य पूर्ण किया था एवं कोई बचत उक्त कार्य मे नहीं हुई थी जबकि कार्य से संबन्धित अभिलेखों एवं माप पुस्तिकाओ की जांच मे पाया गया कि कार्य निष्पादन हेतु स्वीकृतकिमी 20,21,61,69,71,72,106,114 एवं 125 की तकनीकी रूप से स्वीकृत चेनेजों मे कोई कार्य निष्पादन न किये जाने के कारण कुल 5021 रनिंग मीटर क्रैश बैरियर की बचत हुई थी जबकि खंडीय स्तर से उक्त चेनेजों मे कार्य निष्पादन न किए जाने के संबंध मे न तो बचत विवरण स्वीकृत कराया गया था एवं न ही उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए संबन्धित कार्यवाही किए बग़ैर उक्त बचत को कार्य निष्पादन मे प्रयुक्त करते हुए कार्य पर ` 215.40 लाख का अतिरिक्त व्यय भार डाला गया था।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंडीय स्तर से उत्तर दिया गया कि NHO द्वारा किमी 04 से 16 मे Thrie Beam की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी एवं क्रैश बैरियर रोड सेफ़्टी आडिट रिपोर्ट के अनुसार लगाए गए है एवं खंड के कनिष्ठ, सहायक एवं अधिशासी अभियंता द्वारा मार्ग का निरीक्षण MORTH के अनुसार करके अति संवेदनशील एवं अति आवश्यक दुर्घटना संभावित क्षेत्र मे क्रैश बैरियर हेतु किमी/चेनेजों का चयन करने के उपरांत ही आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। मार्ग की पूरी लंबाई मे एक साथ क्रैश बैरियर लगाए जाने के स्वीकृति प्राप्त होना संभव न होने के कारण सर्वे किए गए किमी को आगणन मे नहीं लिया गया एवं उक्त किमी मे कार्य निष्पादन नहीं कराया गया है। हल्द्वानी खंड से हो रही बचत को निर्माण कार्य मे प्रयुक्त किए जाने के संबंध मे खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि किमी 4 से 16 के दुर्घटना संभावित भाग मे उक्त बचत से क्रैश बैरियर लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत कराया गया है। अतिरिक्त लगाए गए 16338 रनिंग क्रैश बैरियर के संबंध मे खंड द्वारा अवगत कराया गया

कि उक्त का विचलन क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराया गया है एवं क्रैश बैरियर रोड सेफ़्टी आडिट रिपोर्ट के अनुसार लगाए गए है। स्वीकृत किमी 20,21,61,69,71,72,106,114 एवं 125 की तकनीकी रूप से स्वीकृत चेनेजों मे कोई कार्य निष्पादन न किये जाने के संबंध मे खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि किमी 61,71 एवं 72 मे क्रैश बैरियर अनुबंध संख्या 23/SE/NH-10/2017-18 के अंतर्गत लगाए गए है तथा शेष भाग मे कार्य रोड सेफ़्टी आडिट के अंतर्गत किया गया है।

खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि खंड द्वारा जनवरी 2019 में किमी 4,6,8,9,12,14,15,16,44,155,156,157,158,159,163,164,165,174 एवं 175 मे क्रैश बैरियर स्थापित किए जाने की रिपोर्ट Flood Area एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने के आधार पर तैयार किए जाने के उपरांत भी न तो उक्त किमी की चेनेजों को प्रेषित आगणन मे सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कराया गया था एवं उक्त किमी के दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी हल्द्वानी खंड से हुई बचत के 3240 रनिंग मीटर को उक्त सर्वे किए गए चेनेजों मे लगाने के बजाय अन्य चेनेजों मे लगाया गया था। अतिरिक्त लगाए गए 16338 रनिंग क्रैश बैरियर के संबंध मे खंड कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सका था एवं माप पुस्तिकाओं मे मापित उक्त अतिरिक्त रनिंग मीटर हेतु विचलन स्वीकृत कराने की न तो कोई कार्यवाही खंडीय स्तर से की गयी थी एवं न ही खंड के पास रोड सेफ़्टी आडिट की कोई रिपोर्ट उपलब्ध थी जो इंगित करता था कि बगैर आवश्यक कार्यवाही के उक्त अतिरिक्त कार्य का निष्पादन करते हुए कार्य पर अतिरिक्त व्ययभार डाला गया था।

स्वीकृत किमी 20,21,61,69,71,72,106,114 एवं 125 की तकनीकी रूप से स्वीकृत चेनेजों मे से अनुबंध के संख्या 23/SE/NH-10/2017-18 के अंतर्गत किमी 61,71 एवं 72 मे क्रैश बैरियर लगाए जाने से संबन्धित अभिलेख खंड लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सका था जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि वास्तव मे किमी 61,71 एवं 72 क्रैश बैरियर लगाया गया था।

अत: तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किमी की चेनेजों से इतर चेनेजों में बगैर सर्वे एवं स्वीकृति प्राप्त अतिरिक्त कार्य निष्पादन के फलस्वरूप कार्य पर रु 703.05 लाख के अतिरिक्त व्ययभार का प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-2 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विरुद्ध अनुबंध में शर्त रखे जाने के कारण ठेकेदार को रु 123.68 लाख का अनियमित भुगतान।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 (तत्समय लागू) के नियम 37(1) के अनुसार मूल्य में परिवर्तन संबंधी यह प्राविधान निर्माण सामाग्री/ श्रमिक के मूल्यों के कम या अधिक होने की स्थिति से संबन्धित है, परन्तु यह उन संविदाओं पर लागू नहीं होगा जिनके पूर्ण होने की अवधि 18 माह या उससे कम हो।As per General Financial Rules 2005 व General Financial Rules 2017 के अनुसार भी price variation उन संविदाओं पर लागू होगा जिनकी अवधि 18 माह से ज्यादा हो।

कार्य Strengthening from KM 133.150 to 173.600 on NH 72B (new No. 707) की स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एन एच- 12014/04/ 2015-उत्तराखण्ड/ एन एच -11 दिनांक 17.06.2016 जॉब संख्या 72बी (नया न॰ 707) यू आर -2016-1-465 द्वारा रु 4147.92 लाख की प्राप्त हुई थी। जिसके अंतर्गत work proper की लागत रु 3596.97 लाख मात्र थी। मेसर्स सब इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ धनराशि रु 2830.83 लाख का अनुबंध 50/SE-NH-10/2017 दिनांक 06.03.2017 गठित किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 16.03.2017 व कार्य समाप्ति की तिथि 15.09.2018 (18 माह) थी। उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला, की लेखापरीक्षा (अगस्त 2020) में पाया गया कि मेसर्स सब इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ गठित अनुबंध 50/SE-NH-10/2017 में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 37(1) के विरुद्ध मात्र 12 माह में ही price variation की शर्त रखी गयी। जिसके अंतर्गत दो बार में रू 123.68 लाख (रू 81.70 लाख व रु 41.98 लाख) का भुगतान किया गया जो कि पूरी तरह से नियमों की अवहेलना थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया कि अनुबंध की शर्तो के अनुसार 12 माह से अधिक पर price variation दिया जाना था व अनुबंध 18 माह का था, इसीलिए price variation प्रदान किया गया। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमानुसार price variation 18 माह से अधिक अवधि के लिए अनुमन्य है तथा खण्ड द्वारा उक्त के विपरीत अनुबंध में 12 माह की अवधि पर ही price variation की शर्त रखी। जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को रू 123.68 लाख का अनियमित भुगतान किया गया था।

अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विरुद्ध अनुबंध में शर्त रखे जाने के कारण ठेकेदार को रु 123.68 लाख का अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर: 1 रोड कटिंग चार्जेस हेतु त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार कर खण्ड द्वारा पेयजल निगम से रोड कटिंग चार्जेस के रूप में ` 15.54 लाख कम प्राप्त किया जाना।

लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गों में दूर संचार/ विद्युत विभाग /जल संस्थान एवं अन्य संस्थान / विभागों द्वारा लोक निर्माण विभाग की सड़कों को काटने के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त हुये सड़कों को पूर्व स्थिति मे लाने के उद्येश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा इस उद्येश्य हेतु कार्यालय ज्ञाप सं॰ पत्रांक: 1099/10 प्रकीर्ण/उत्तराखण्ड के आधार पर रोड कटिंग चार्जेस उन विभागों से प्राप्त किया जाता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग चार्जेस इस लिए लिया जाता हे जिससे कि उपरोक्त संस्थान / विभागों द्वारा लोक निर्माण विभाग की सड़कों को काटने के पश्चात क्षतिग्रस्त हुये सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा सके।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (पेयजल निगम) से रोड कटिंग चार्जेस के रूप में कम धनराशि की मांग कर उनसे कम रोड कटिंग चार्जेस प्राप्त की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

पेयजल निगम द्वारा **NH 72** के किमी0 159 एवं 160 में खेड़ा मंदिर चौक से पुरानी पुलिस चौकी चौराहा तक 2 किमी0 लंबाई में पेयजल पाईप लाईन बिछाए जाने हेतु रोड कटिंग कार्य हेतु अनुमति चाही गई थी, पक्के रोड में 150 मी0 एवं कच्चे रोड में 1850 मी0 लम्बाई में रोड के दोनों ओर रोड कटिंग कार्य किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड द्वारा रोड कटिंग कार्य का आगणन तैयार करते समय पक्के रोड में 1.2 मी0 चौड़ाई में एवं कच्चे रोड में केवल 0.6 मी0 चौड़ाई में रोड कटिंग की गणना की गई। इस प्रकार खण्ड द्वारा कच्चे रोड में 1.2 मी0 चौड़ाई के स्थान पर केवल 0.6 मी0 चौड़ाई में रोड कटिंग की गणना करते हुये केवल 2220 वर्ग मी0 (1850 मी0 X 0.6 मी0 X 2) क्षेत्रफल आगणित किया गया, जबकि 1850 मी0 लम्बाई में रोड के दोनों ओर रोड कटिंग कार्य हेतु 4440 वर्ग मी0 (1850 मी0 X 1.2 मी0 X 2) क्षेत्रफल आगणित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार खण्ड द्वारा रोड कटिंग कार्य हेतु 2220 वर्ग मी0 का कम आगणन तैयार कर निगम से ` 15.54 लाख धनराशि रोड कटिंग चार्जेस हेतु कम प्राप्त किया गया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि रोड कटिंग कार्य हेतु नमूना जांच किये गये 12 कार्यों में से पेयजल पाईप लाईन बिछाए जाने हेतु नमूना जांच किये गये 6 कार्यों में से उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त और तीन कार्यों में पक्के के साथ साथ कच्चे रोड में भी रोड कटिंग का कार्य किया गया एवं उन सभी कार्यों के आगणन में पक्के एवं कच्चे रोड में रोड कटिंग कार्य हेतु चौड़ाई एक समान रखा गया। इसके अतिरिक्त गैस की पाईप लाईन बिछाने हेतु एवं ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु दो अन्य कार्यों में भी पक्के एवं कच्चे रोड में रोड कटिंग कार्य हेतु चौड़ाई एक समान रखा गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	विभाग/ संस्थान का नाम	विवरण	रोड कटिंग कार्य हेतु आगणित चौड़ाई (मी0 में)	
			पक्के रोड में	कच्चे रोड में
1	2	3	4	5
1	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	**NH 72** के किमी0 157 में **ISBT** चौक से हरिद्वार बाईपास तक पेयजल लाईन बिछाये जाने हेतु	1.00	1.00
2	-तदैव -	**NH 72** के किमी0 155, 156, 157 एवं 158 में सहारनपुर रोड जुयाल मार्ग, आई एस बी टी चौक, हरिद्वार बाईपास तक पेयजल लाईन बिछाये जाने हेतु	1.00	1.00
3	-तदैव -	**NH 72** के किमी0 154, 155 एवं 158 में सब्जी मंडी चौक से राजीव जुयाल मार्ग तथा ब्रहमनवाला से बिंदाल पुल तक पेयजल लाईन बिछाये जाने हेतु	1.00	1.00
4	**Gail Gas Ltd.**	**NH 72** के किमी0 155.00 से 165.00 में शिमला बाईपास तिराहा से आई एस बी टी होते हुये मोहकम्पूर तक गैस की पाईप लाईन बिछाने हेतु	1.00	1.00
5	मेसर्स जियो डिजिटल फाइबर प्रा0 लिमिटेड	**NH 72** के बल्लुपुर चौक से त्रिवेग गेस्ट हाउस तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु	1.00	1.00

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा उपरोक्त कार्य के सापेक्ष रोड कटिंग चार्जेस हेतु त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार कर पेयजल निगम से रोड कटिंग चार्जेस के रूप में ` 15.54 लाख कम प्राप्त किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया कि पेयजल निगम द्वारा कच्चे भाग में सामन्यत: 0.60 मीटर चौड़ाई में रोड कटिंग की अनुमति मांगी जाती है, किन्तु पक्के भाग में मार्ग की मरम्मत हेतु जी0एस0बी0, डब्ल्यू0बी0एम0, डी0बी0एम0 एवं बी0सी0 आदि का कार्य किया जाता है, जिसमें compaction हेतु रोलर से कार्य किया जाता है, जिस कारण आगणन में पक्के भाग में चौड़ाई 1.20 मीटर ली गयी है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि पक्के एवं कच्चे रोड में रोड कटिंग कार्य किए गए उपरोक्त सभी पाँच कार्यों में, खण्ड द्वारा पक्के एवं कच्चे रोड में एक समान चौड़ाई में अर्थात एक मी0 चौड़ाई में रोड कटिंग कार्य हेतु आगणन तैयार किया गया था जबकि उपरोक्त कार्य में पक्के रोड में 1.20 मी0 चौड़ाई एवं कच्चे रोड में 0.60 मी0 चौड़ाई में रोड कटिंग कार्य का आगणन तैयार किया गया एवं पेयजल निगम से रोड कटिंग चार्जेस के रूप में ` 15.54 लाख कम प्राप्त किया गया।

इस प्रकार खण्ड द्वारा रोड कटिंग चार्जेस हेतु त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार कर पेयजल निगम से रोड कटिंग चार्जेस के रूप में ` 15.54 लाख कम प्राप्त किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 2 (ब)

प्रस्तर-3 : त्रुटिपूर्ण वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के कारण रु 24219 अधिक भुगतान।

अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग डोईवाला के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्यालय मे कार्यरत कर्मचारी श्री नवीन कुमार शर्मा (AAE) की सेवा पुस्तिका केअनुसार उनकावेतन वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात जनवरी 2019 को रु 67,000 तथा जनवरी 2020 को रु 69,900 है किन्तु अभिलेखो की जांच में पाया गया कि उन्हे अक्तूबर 2019 में वेतन वृद्धि प्रदान की गयी व पुनः जनवरी 2020 में वेतन वृद्धि प्रदान की गयी जिस कारण उन्हे अक्टूबर 2019 से रु 69,000 तथा जनवरी 2020 से रु 71,100 प्रदान किया जा रहा है जबकि सेवा पुस्तिका के अनुसार उनका वेतन जनवरी 2020 में रु 69,000 है। उक्त के कारण उन्हे जुलाई 2020 तक कुल रु 24219 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत है;-

Month	Due			Drawn			Excess
	Pay	DA	Total	Pay	DA	Total	
Oct-19	67000	11390	78390	69000	11730	80730	2340
Nov-19	67000	11390	78390	69000	11730	80730	2340
Dec-19	67000	11390	78390	69000	11730	80730	2340
Jan-20	69000	11730	80730	71100	12087	83187	2457
Feb-20	69000	11730	80730	71100	12087	83187	2457
Mar-20	69000	11730	80730	71100	12087	83187	2457
Apr-20	69000	11730	80730	71100	12087	83187	2457
May-20	69000	11730	80730	71100	12087	83187	2457
Jun-20	69000	11730	80730	71100	12087	83187	2457
Jul-20	69000	11730	80730	71100	12087	83187	2457
Total							**24219**

उक्त के संबंध मे अवगत कराने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि संबन्धित कर्मचारी के वेतन से वसूली प्रारम्भ कर दी गयी है। अतः खंड के उत्तर से स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारिओं के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या
34/2017-18	-	1, 3
42/2018-19	1	2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों को संस्तुत कराकर महालेखाकर कार्यालय देहरादून को प्रेषित कर दी गयी है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला)**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए: शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्षका कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
1	ई॰ ओमपाल सिंह रावत	अधिशासी अभियंता।

4.विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबंध रहे;

1. श्री एस जी पाठक वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी
2. श्री हिंवाल सिंह रावत वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, रा.मा॰ खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार,AMG-II, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II (Non-PSU)